छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 22 अक्टूबर, 2010

क्रमांक एफ 20–111/2009/11/(6) राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाने एवं उनके प्रस्तावित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में वित्त पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम निम्नानुसार लागू करता है :–

1 नियम :–

ये नियम **''छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009''** कहे जायेंगे।

2 प्रभावशील होने का दिनांक :–

ये नियम दिनांक 01 नवम्बर 2009 से प्रभावशील माने जायेंगे।

3 परिभाषाऐं :–

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

4 पात्रता

4.1– औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि अर्थात दिनांक 01.11.2009 से 31.10. 2014 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले **''उपाबंध –2''** में दर्शाये

गये उद्योगों को छोड़कर अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले शेष सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, जिनकी परियोजना लागत रू. 5 करोड़ तक है, को ही यह अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4.2– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया जाये।

4.3– यदि भारत शासन/राज्य शासन या इसके किसी निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग या वित्तीय संस्था/बैंक से मार्जिन मनी हेतु अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.4– उद्योगों की योजना के न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने पर ही इस अनुदान की पात्रता होगी।

5 अनुदान की मात्रा

इस योजना के अन्तर्गत उद्योग की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 35 लाख मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। यह अनुदान औद्योगिक इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था/ बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश जारी करने के उपरांत संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6 प्रक्रिया

6.1– औद्योगिक इकाईयों को **''उपाबंध 1''** के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में आवेदन देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध –4'' में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(1) वैध ई0एम0 पार्ट–1 /आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/ आषय पत्र ।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(3) प्रोजेक्ट प्रोफाइल/ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।

(4) भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक आदि से पूंजी निवेश/मार्जिन मनी अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(5) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित दस्तावेज

(6) स्थानीय निकायों यथा– ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र

(7) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश।

(8) मार्जिन मनी न्यूनतम 5 प्रतिशत की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने संबंधी शपथ पत्र/दस्तावेज।

6.2– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इस अनुदान योजना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण परियोजना रिपोर्ट, बैंक ऋण स्वीकृति आदेश एवं मार्जिन मनी की न्यूनतम व्यवस्था औद्योगिक इकाई द्वारा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र/दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा तथा अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर प्रकरण जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् की जायेगी।

6.4– जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत होने पर यथा स्थिति मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश उपाबंध 5 पर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा। जिसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर औद्योगिक इकाई को अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन स्वयं के व्यय पर कराना होगा। विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रकरणों की उपलब्धता के अनुसार यथा–संभव प्रत्येक माह की जायेगी।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में राज्य स्तरीय समिति को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति जिम्मेदार होगी। सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं एवं अभिमत/अनुशंसा को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

6.5– अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी स्वीकृति दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

6.6– भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जायेगी ।

6.7– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्त पोषित वित्तीय संस्था/बैंक को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुदान की राशि दी जायेगी। अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नकद नहीं दी जायेगी। वित्त पोषित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा भी उक्त अनुदान की राशि इकाई के ऋण खाते में जमा की जायेगी। वित्त पोषित वित्तीय संस्थान/ बैंक किसी भी स्थिति में अनुदान नगद रूप में नहीं देगा।

6.8– उद्योग संचालनालय द्वारा बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जायेगा ।

6.9— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जायेगा।

6.10— बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

6.11— समिति का स्वरूप :—

(अ) जिला स्तरीय समिति :—

(1)	कलेक्टर	**अध्यक्ष**
(2)	अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	**उपाध्यक्ष**
(3)	वाणिज्यिक कर अधिकारी	**सदस्य**
(4)	लीड बैक अधिकारी	**सदस्य**
(5)	जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय/अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग/ अन्य शासकीय विभाग में पदस्थ उप संचालक स्तर के अधिकारी जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग वर्ग के हो	**सदस्य**
(6)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस समिति का कोरम 4 का होगा ।	**सदस्य सचिव**

(ब) राज्य स्तरीय समिति :—

(1)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग	**अध्यक्ष**
(2)	प्रबंध संचालक/ कार्यपालक संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0	**सदस्य**
(3)	महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, रायपुर	**सदस्य**
(4)	राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग/ अन्य शासकीय विभाग में पदस्थ उप संचालक स्तर के अधिकारी जो अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग का हो	**सदस्य**
(5)	अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय इस समिति का कोरम 3 का होगा ।	**सदस्य सचिव**

(स) योजना के क्रियान्वयन हेतु सदस्य सचिव के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :—

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त स्वत्वों का संकलित करना, स्वत्वों का परीक्षण करना एवं जिला स्तरीय समिति से प्रकरणों का निराकरण करवाना।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रकरणों की उपलब्धता होने पर यथा संभव प्रत्येक माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना व इसका पूरा रिकार्ड रखना।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना।

(4) जिला/राज्य स्तरीय समिति की बैठकों के निर्णयों की जानकारी सर्व संबंधितों को प्रेषित करना ।

(द) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी ।

1– अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना।

2– समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के निर्णय का या जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा कर सकेगी, किन्तु किसी प्रकरण विषेष में स्वीकृति आदेष को निरस्त करने अथवा अनुदान राशि में कमी करने पर संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जायेगा।

3– अधिसूचना के अधीन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति को करना होगा।

4– नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बंद हो जाने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

7 मार्जिन मनी अनुदान के वितरण की प्रक्रिया

(1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में ऋण स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् संबंधित बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मार्जिन मनी अनुदान की मांग की जायेगी।

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत अनुदान की राशि को बैंक को भेजने की व्यवस्था ऋण स्वीकृति हेतु निर्धारित मार्जिन मनी की दर अनुसार ऋण वितरण की किश्तों के अनुसार भेजी जायेगी। उदाहरणार्थ यदि किसी इकाई के पक्ष में ₹ 1.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत है तथा इस हेतु ₹ 25.00 लाख की मार्जिन मनी औद्योगिक इकाई द्वारा दी जानी है अर्थात् मार्जिन मनी की दर 25 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में ₹ 5.00 लाख आवेदक की मार्जिन होगी तथा यदि ₹ 20.00 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा रहा है तो अधिकतम ₹ 4.00 लाख का भुगतान किया जायेगा।

(3) उद्योग स्थापित होने के पश्चात् मार्जिन मनी अनुदान का समायोजन औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्लेम में किया जायेगा।

(4) मार्जिन मनी अनुदान हेतु बजट आबंटन राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/ अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा।

8 अपील /वाद

(1) जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को आदेष के संसूचित किये जाने की तारीख से 45 दिवसों के भीतर औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग को अपील की जा सकेगी।

(2) विलंब से प्राप्त आवेदनों पर/अधिसूचना से संबंधित किसी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति को प्रकरण के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाने का अधिकार होगा।

(3) राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेष पारित किया जायेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन उचित समझा जाये।

(4) राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्णय से असहमत होने पर द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को 45 दिवसों के भीतर की जायेगी जिसका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

9 <u>मार्जिन मनी अनुदान की वसुली</u>

निम्न स्थितियों में मार्जिन मनी अनुदान की राषि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृति/राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.2 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है।

9.3– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है।

9.4– उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये।

9.5– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.6– उपर्युक्त बिन्दु 9.1 से 9.5 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश जिला स्तरीय समिति की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10– <u>स्वप्रेरणा से निर्णय</u> :–

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/ राज्य स्तरीय समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा।

11 योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

12 इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

13 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14 योजना का कियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 405/सी.एन. 29983/बजट–5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेषानुसार

सही/–
(सरजियस मिंज)
अपर मुख्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

''उपाबंध–1''

(नियम 6.1)

''छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009'' के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का आवेदन प्रारूप)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक –

3– उद्योग का आकार– सूक्ष्म उद्योग/ लघु उद्योग

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन

5– उद्यमी का वर्ग–

6– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला

7– पंजीयन

1– ई0एम0 पार्ट–1/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0

8– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

9– योजना/सकल पूंजीगत लागत (राषि लाखों में)

क्र0		राशि
(1)	भूमि – अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क योग	
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगषाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रषासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग	
(3)	प्लांट एवं मषीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) – 1 प्लांट एवं मषीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगषाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण	

	3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय	
(4)	योग विद्युत आपूर्ति निवेष – अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
(5)	योग जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	महायोग	

10– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

11– रोजगार –

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया जाने वाला रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

12– विद्युत भार–

13– औद्योगिक इकाई के अन्य उद्योगों का विवरण –
1– नाम व पता
2– कारखाना स्थल
अ– ग्राम / नगर
ब– तहसील
स– जिला
द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

15– अन्य

टीप– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जाये, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

//शपथ पत्र//

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2– छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जायेगी वह मुझे स्वीकार है ।

3– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार न्यूनतम उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4– यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं मार्जिन मनी अनुदान के वितरण की जो प्रक्रिया है वह स्वीकार है, अनुदान मिलने में विलंब /अनुदान अस्वीकृत होने पर विभाग पर कोई दावा नहीं किया जायेगा ।

5– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग/ निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग / निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

7– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राषि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जायेगी ।

स्थान–
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य शासन अथवा अन्य किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

******

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

''उपाबंध–4''

(नियम 6.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

छत्तीसगढ़

मेसर्स ..... पता..... ..... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... ..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

''उपाबंध–5''

(नियम 6.4)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम 2009** के नियम क्रमांक ''6.4'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **मार्जिन मनी अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है –

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन) :

3– उद्योग का संगठन– :

4– उद्यमी का वर्ग–

5– उत्पाद व प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता–

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–

(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश –

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

.....

.....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जायेगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/
उद्योग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र